प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या...02/22... दिनांक...6/1/2022
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धाराये :– 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :–
(3) अधिनियम .... धाराये :–..............
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...159...समय...4-30 P.M
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **मंगलवार, दिनांक 13.10.2020**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– 12.10.2020, **समय 11.30 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **लिखित**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से दक्षिण में, करीब 45 कि.मी. दूर।**
(ब) पता :–डिस्कॉम कार्यालय रामसीन जिला जालोर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. **परिवादी/सूचनाकर्त्ता**
श्री वागाराम पुत्र श्री नवाजी जाति कलबी चौधरी उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम लूर तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर।
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–**
श्री मोहम्मद फिरोज अख्तर पुत्र मोहम्मद ईशा अन्सारी जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी रजावली हाउस, टिबी रोड अरवाल सिफा जिला अरवाल बिहार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम मोदरा, कार्यालय रामसीन जिला जालोर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम बागरा जिला जालोर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–..............
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)..............
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2020 को वक्त 11.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री वागाराम पुत्र श्री नवाजी, जाति कलबी चौधरी, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम लूर, तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर ने कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित

होकर श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस के सक्षम लिखित रिपोर्ट इस आश्य की पेश की कि ग्राम रोठा तहसील जसवन्तपुरा, जिला जालोर में मेरी पुश्तेनी कृषि भूमि आई हुई है तथा उक्त भूमि पर मेरे दो विधुत कनेक्शन भी हो रखे है। उक्त दोनों कनेक्शन में से एक कनेक्शन मेरी दुसरी पुश्तेनी कृषि भूमि ग्राम लूर में शिफ्ट करवाने के लिऐ मैने माह मई 2020 में विघुत कनेक्शन शिफ्टींग की फाईल विधुत विभाग कार्यालय रामसीन में जमा करवाई थी। बरसात की सीजन होने से मैं करीबन तीन महिने तक विधुत विभाग रामसीन नहीं गया था। मैं करीब दस पन्द्रह दिन पहले मोदरा के जे0ई0एन0 श्री फिरोज अख्तर जिनका रामसीन में ऑफिस है से रामसीन में मिला तो उन्होने मौका देखने हेतु मेरे खेत पर आने का कहकर मुझे रवाना कर दिया। उसके बाद दिनांक 10.10.2020 को मैं जे0ई0एन0 साहब मेरे खेत पर आये तथा मेरे खेत का मौका देखने के बाद मुझे मेरे खेत का विधुत कनेक्शन शिफ्ट करने का आश्वासन देते हुऐ खर्चे पानी के चार–पाच हजार रूपये मांगे तथा कहा कि अगर खर्चे पानी के पैसे नहीं दिये तो आपका कनेक्शन शिफ्ट नहीं होगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिऐ श्री फिरोज अख्तर जे0ईएन0 डिस्कॉम मोदरा कार्यालय रामसीन को रिश्वत नहीं देना चाहता हूॅ उन्हे रिश्वत लेते हुऐ रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूॅ। मेरे एवं जे0ई0एन0 साहब के आपस कोई लेन–देन बकाया नहीं है न ही कोई आपसी रंजिश है। श्री फिरोज अख्तर जे0ई0एन0 साहब के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करावे। परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं द्वारा जालोर में कम्प्यूटर से लिखवाकर लाना एवं रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया तथा परिवादी श्री वागाराम ने यह भी बताया कि आज श्री फिरोज अख्तर साहब ऑफिस में उपस्थित नहीं मिलेंगे क्योंकि अमूमन वह 12.00 बजे के बाद फिल्ड में चले जाते है कल सुबह 10.30 बजे वह डिस्कॉम कार्यालय में उपस्थित मिलेंगे।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 13.10.2020 को कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को कस्बा रामसीन भेजकर परिवादी वागाराम से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की हिदायत दी गई। इमरोजा मांग सत्यापन में गया हुआ श्री विक्रमसिंह कानि0 व परिवादी श्री वागाराम ब्यूरो कार्यालय जालोर में श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। कानि0 श्री विक्रमसिंह ने उप अधीक्षक पुलिस को टेप रिकार्ड सुपुर्द किया जिसे श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस नें टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को रिवर्स कर सुना तो आरोपी श्री फिरोज अख्तर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा परिवादी श्री वागाराम के विधुत कनेक्शन को शिफ्ट करने तथा डिमाण्ड निकालने की ऐवज में 4000 रूपयें रिश्वत राशि मांग करना पाया गया।

रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 13.10.2020 को स्वतन्त्र गवाहान श्री डा0 आशीष जैन, वाणिज्यक कर अधिकारी व श्री मोहनलाल राणा वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यक कर अधिकारी, जालोर वृत जालोर को तलब कर गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया तथा गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया एव पढाया गया तथा रिश्वती राशि सत्यापन वार्ता को भी सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली

कर प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् परिवादी श्री वागाराम एवं आरोपी श्री फिरोज अख्तर कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य दिनांक 13.10.2020 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के कम्पयूटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त दोनों सी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस द्वारा ट्रेप कार्यवाही में रिश्वती राशि आदान–प्रदान दिनांक 14.10.2020 को होना सुनिश्चित होने से अग्रिम कार्यवाही दिनांक 14.10.2020 को करने का निर्णय लिया गया। उपस्थित गवाहान को कार्यवाही की गोपनीयता बरतते हुऐ दिनांक 14.10.2020 को वक्त 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा समस्त ब्यूरो स्टाफ को भी दिनांक 14.10.2020 को वक्त 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी श्री वागाराम को भी प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत देते हुऐ रिश्वती राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 14.10.2020 को वक्त 09.30 ए0एम0 पर कस्बा रामसीन में बाईपास रोड़ पर एकान्त में गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 14.10.2020 वक्त 08.00 ए0एम0 पर पूर्व पाबन्द स्वतन्त्र गवाहान डा0 आशीष जैन वाणिज्यक कर अधिकारी व श्री मोहनलाल राणा वरिष्ठ सहायक कार्यालय वाणिज्यक कर अधिकारी वृत जालोर एवं कार्यालय स्टाफ उपस्थित आये। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहन श्री अशीष जैन वाणिज्यक कर अधिकारी व श्री मोहनलाल राणा वरिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता सर्व श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 नं0 62, श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96, श्री भवानीसिंह कानि0 नं0 35, श्री विक्रमसिंह कानि0 नं0 556, श्री ठाकराराम कानि0 नं0 440, श्री गुलाबसिंह कानि0 नं0 140, श्री आदूराम कानि0 नं0 142, श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल टेप रिकार्डर, कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, मय एक कागज की पुडिया में फिनोफ्थलीन पाउडर चालक श्री रणवीर मनावत को सुपुर्द कर अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 यूए 0818 एवं निजी वाहन के रामसीन के लिऐ रवाना हुऐ। कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु श्री गोपाल कुमार कानि0 नं0 537 को पीछे छोडा गया। तत्पश्चात् उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा कस्बा रामसीन में बाईपास रोड पहुंचे, जहॉ पर पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री वागाराम उपस्थित मिला। जिस पर श्री अन्नराज उप उप अधीक्षक ने परिवादी श्री वागाराम से आरोपी श्री फिरोज अख्तर कनिष्ठ अभियन्ता मोदरा को रिश्वती में दी जाने वाली राशि 4000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से पांच सौ–पांच सौ रूपये के आठ नोट कुल 4000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री वागाराम व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की किया प्रतिकिया श्री रणवीर मनावत कानि/ड्रा नं0 613 से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर दिनांक 14.10.2020 व दिनांक 21.10.2020 को ट्रेप कार्यवाही के प्रयास किये गये किन्तु आरोपी श्री फिरोज अख्तर कनिष्ठ अभियन्ता से रिश्वती राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका।

तत्पश्चात् परिवादी श्री वागाराम एवं आरोपी श्री फिरोज अख्तर कनिष्ठ अभियन्ता के मध्य हुई दिनांक 14.10.2020 को हुई रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्तालाप को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त वार्तालापो की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो–दो सी.डी. तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी सी. डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। उपरोक्त सीडीयो को मालखाना प्रभारी श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

दिनांक 21.10.2020 वक्त 04.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री वागाराम ने पुनः बताया कि आज मेरे द्वारा बार–बार आरोपी श्री फिरोज अख्तर जे0ई0एन0 साहब को फोन लगाने के उपरान्त भी जे0ई0एन0 साहब ने मेरा फोन नही उठाया तथा आज जे0ई0एन0 साहब के डिस्कॉम कार्यालय रामसीन में उपस्थित नही होने से भी मुझे शंका है कि उन्हे इस कार्यवाही की भनक लग गई है जिस पर अब वह मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा एवं न ही इस संबध में कोई वार्ता करेगा। मेरे द्वारा दिनांक 14.10.2020 के बाद भी कई बार श्री फिरोज अख्तर जे0ई0एन0 साहब से फोन पर सम्पर्क करने की कोशिश की गई परन्तु उन्होने मेरा फोन नही उठाया तथा दिनांक 14.10.2020 के बाद मेरा उनसे कोई सम्पर्क नही हो पाया। जिस पर परिवादी के बताऐ गये कथनों से उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस ने मालखाना प्रभारी श्री मोहम्मद हनीफ हैड कानि0 से पॉलीथीन की थैली में रखवाई गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये को मालखाना से निकालकर नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को तसल्ली से साफ कर परिवादी श्री वागाराम को सुपूर्द कर पृथक से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं श्री अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब अग्रिम सफलता नहीं मिलने से परिवादी श्री वागाराम को रुखस्त दी गई।

आरोपी श्री मोहम्मद फिरोज अख्तर पुत्र मोहम्मद ईशा अन्सारी जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी रजावली हाउस, टिबी रोड अरवाल सिफा जिला अरवाल बिहार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम मोदरा, कार्यालय रामसीन जिला जालोर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम बागरा जिला जालोर द्वारा लोक सेवक होते हुए पद का दुरूपयोग कर मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 13.10.2020 को परिवादी श्री वागाराम से उसके पुश्तैनी कृषि भूमि रोठा में लगे दो विद्युत कनेक्शनो में से एक विद्युत कनेक्शन को ग्राम लूर स्थित कृषि भूमि में शिफ्ट करने तथा डिमाण्ड निकालने की ऐवज में 4,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का अपराध कारित करना पाया गया हैं।

अतः श्री मोहम्मद फिरोज अख्तर पुत्र मोहम्मद ईशा अन्सारी जाति मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी रजावली हाउस, टिबी रोड अरवाल सिफा जिला अरवाल

बिहार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम गोदरा, कार्यालय रामसीन जिला जालोर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर डिस्कॉम बागरा जिला जालोर द्वारा अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(डा0 महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डा0 महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री मोहम्मद फिरोज अख्तर पुत्र मोहम्मद ईशा अन्सारी तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम मोदरा, कार्यालय रामसीन जिला जालोर हाल कनिष्ठ अभियंता जोधपुर डिस्कॉम बागरा जिला जालोर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 02/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक: 08-12 दिनांक 06.1.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, बाडमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

6.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।